न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 356 / 2024 निर्णय दिनांक :–28.04.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र

गिरीराज पुत्र चतरा राम जाति मीणा उम्र 53 वर्ष निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0 हाल निवास बापू नगर बालाजी रोड कुन्हाडी कोटा राज0 ।

–प्रार्थी–

बनाम

1. तहसीलदार तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
2. काना पुत्र हीरा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0 ।
3. गोपाल पुत्र सुखदेवा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
4. गोरा पुत्री नंदकिशोर जाति मीनार रेजिडेंट रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
5. चिन्ता पुत्री सुखदेवा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
6. धनराज पुत्र औंकार जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
7. धर्मराज पुत्र औंकार जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
8. धापू पुत्री चतरा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0 ।
9. नर्बदा पुत्री पॉचू जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0 ।
10. पारी पुत्री चतरा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0 ।
11. भुरी पुत्री पॉचू जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0 ।
12. भोजराज पुत्र नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
13. मन्जूदेवी पत्नि सीताराम जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
14. मनभर पुत्री सुखदेवा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
15. मनराज पुत्र नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।

28.4.25

Scanned with OKEN Scanner

16. रामकूरी पत्नि चतरा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
17. रोशन पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
18. लेखराज पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
19. शान्ति पत्नि खेमराज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
20. शिवराज पुत्र चतरा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली ज़िला–टोंक राज0।
21. शोकरण पुत्र चतरा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
22. सन्तरा देवी पत्नि नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
23. गीता पुत्री सुखदेवा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
24. सीयाराम पुत्र हीरा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0।
25. हंसा देवी पत्नि चेतन जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा पोस्ट गांवडी तहसील देवली ज़िला–टोंक राज0।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री बाबूलाल मीणा — पेरोकार सरकार

अधिवक्ता प्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 राज0 लेंण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 2 ता 25 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खाता सं0 21 खसरा नं0 130 रकबा 0.60 है0 खसरा नं0 193 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 22 रकबा 0.58 है0, खसरा नं0 36 रकबा 0.86 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.63 है0 वाके ग्राम सीतारामपुरा प0ह0 गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थी का वास्तविक नाम गिरिराज मीना पुत्र चतराराम मीना है। प्रार्थी व अन्य परिवार के सदस्यो की सहखातेदारी की भूमि खाता 21 खसरा नं0 130 रकबा 0.60 है0 खसरा नं0 193 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 22 रकबा 0.58 है0, खसरा नं0 36 रकबा 0.86 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.63 है0 वाके ग्राम सीतारामपुरा प0ह0 गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0 में स्थित है प्रार्थी के पिता चतराराम पुत्र बलदेव मीना का विरासत का नामान्तकरण खोलते समय सहवन से प्रार्थी का नाम गिरराज पुत्र चतरा हिस्सा 1/30 दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी के

28.4.25

सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम गिरिराज मीना पुत्र चतराराम मीना दर्ज है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र के चरण नं0 1 में वर्णित आराजीयात में गलत रूप से गिरिराज मीना पुत्र चतराराम मीना के बजाय गिरराज पुत्र चतरा कर दिया है जो गलत है। प्रार्थी को ही गांव में गिरराज पुत्र चतरा के नाम से भी जाना जाता है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में नाम गिरिराज मीना पुत्र चतराराम मीना है। प्रार्थी का नाम गिरराज पुत्र चतरा के बजाय गिरिराज मीना पुत्र चतराराम मीना राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था। बल्कि राजस्व कर्मचारियों की सहवन से त्रुटिवश प्रार्थी का नाम गिरिराज मीना पुत्र चतराराम मीना के बजाय गिरराज पुत्र चतरा दर्ज हो गया जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 खाता सं0 21 ग्राम सीतारामपुरा प0ह0 गांवडी तहसील देवली में नाम बतौर खातेदार गिरराज पुत्र चतरा दर्ज होने से प्रार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है एवं प्रार्थी को सरकार के द्वारा जनहित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस कारण प्रार्थी का नाम शुद्धि करवाया जाना प्रार्थी के हित के लिए न्यायहित में आवश्यक है। सहखातेदार गंगा पुत्री हीरा, बरजी पत्नि पाँचू, रूकमा पत्नि सुखदेव, की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं खातेदार चेतन पुत्र खेमराज की मृत्यु होने से उसकी पत्नि अप्रार्थी नं0 25 को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है। अप्रार्थीगण सं0 2 ता 25 से किसी प्रकार की कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। सहखातेदार होने के कारण फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात ग्राम सीतारामपुरा प0ह0 गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खाता सं0 21 ग्राम सीतारामपुरा प0ह0 गांवडी तहसील देवली जिला–टोंक राज0 में स्थित आराजीयात में प्रार्थी का नाम गिरराज पुत्र चतरा के बजाय गिरिराज मीना पुत्र चतरा राम मीना शुद्धि करवाये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 25 असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–

(1) स्वीकार है। जमावन्दी सम्बत् 2076 स्थायी के खाता सं. 21 में प्रार्थी गिरराज के नाम हिस्सा 1/30 दर्ज रिकॉर्ड है, ग्राम सीतारामपुरा में। (2) प्रार्थी ने पत्रावली में आधार कार्ड व जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाई है, जिसमे प्रार्थी का नाम गिरिराज मीणा पुत्र चतरा राम मीणा अंकित है। खातेदार चतरा की विरासत से नामा. स. 70 दि. 19.1.13 से प्रार्थी का नाम – 'गिरराज' दर्ज हुआ है। पटवारी द्वारा तैयार मौका पर्चा अनुसार गिरिराज व गिरराज एक ही व्यक्ति है। (3) स्वीकार है। मौका पर्चा व दस्तावेज– आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनुसार

28.4.25

गिरराज के बजाय गिरिराज दर्ज किये जाने में कोई आपति नहीं है। उच्चारण में मामुली अन्तर है। (4) प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। (5) जवाब अपेक्षित नहीं है। 16) माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। (7) माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। अतः प्रार्थी का नाम गिरराज 'के बजाय 'गिरिराज' शुद्धि किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो ही दोहरान किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 21 में प्रार्थी का नाम गिरराज पुत्र चतरा दर्ज रिकॉर्ड है। जिसको प्रार्थी गिरीराज मीना पुत्र चतरा राम मीना शुद्ध करवाना चाहता है। अपने वाद के समर्थन में प्रार्थी नें आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र पेश किये है।

उक्तानुसार दस्तावेजो के विवेचन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया कि प्रार्थी का नाम कब से अशुद्ध चला आ रहा है। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार खातेदार चतरा की विरासत से नामा. स. 70 दि. 19.1.13 से प्रार्थी का नाम – 'गिरराज' दर्ज हुआ है। अर्थात यह अशुद्धि सेटलमेंट के समय नहीं हुई है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर . एक्ट के तहत पेश किया जिसमें केवल सेटलमेंट के दौरान हुई लिपिकीय त्रुटियों को ही शुद्ध किया जा सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 28.04.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner